महाराष्ट्र राज्य और अन्य

बनाम

नौरोस्जी वाडिया कॉलेज और अन्य

(सिविल अपील सं 531-532/2013)

29 जनवरी, 2013

[जी. एस. सिंघवी और एच. एल. गोखले, जे. जे.]

सेवा विधि:

अवकाश नकदीकरण लाभ -पुणे विश्वविद्यालय के सरकारी संबद्ध कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों के लिए पुणे विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 के तहत बनाए गए पुणे विश्वविद्यालय के अध्यादेशों 424(3) और 424(C) द्वारा प्रदान किया गया - महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप 1974 अधिनियम निरस्त हो गया - सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों को अवकाश नकदीकरण लाभ बंद करने का निर्देश -राज्य ने विश्वविद्यालय को भी विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधन करने का निर्देश दिया और तब तक अवकाश नकदीकरण के भुगतान में किए गए खर्चों को वहन करने का निर्देश दिया - अध्यादेश 424(3) और 424(C) संशोधित या प्रतिस्थापित नहीं हैं - राज्य के निर्देशों को संस्थानों द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है,

जिसमें उनके द्वारा शिक्षकों को अवकाश नकदीकरण के भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति के लिए परमादेश मांगा गया है - उच्च न्यायालय ने राज्य को राशि की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया - अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: हालांकि 1974 अधिनियम संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों को अवकाश नकदीकरण का लाभ देता है, लेकिन न तो 1974 अधिनियम और न ही 1994 अधिनियम राज्य को इस लाभ को बढ़ाने के लिए बाध्य करते हैं - केवल इसलिए कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश में लाभ का प्रावधान है, यह विश्वविद्यालय/कॉलेज को राज्य से प्रतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार नहीं देता है - राज्य को विश्वविद्यालयों को उनके अध्यादेशों में संशोधन के निर्देश जारी करने में भी उचित ठहराया गया था - महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 -धारा 115 -पुणे विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 -पुणे विश्वविद्यालय के अध्यादेश - अध्यादेश 424(3) और 424(C)।

प्रस्तुत अपीलों में विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या प्रतिवादी-संस्थान (कॉलेज) को अवकाश नकदीकरण के भुगतान के लिए राज्य सरकार से प्रतिपूर्ति का हक है, जो पुणे विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए अध्यादेशों के तहत शिक्षकों को दिया गया है।

राज्य सरकार ने तर्क दिया कि राज्य राशि की प्रतिपूर्ति करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि न तो पुणे विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974

और न ही किसी अन्य अधिनियम में प्रतिपूर्ति का अनिवार्य प्रावधान है; और यह कि महाराष्ट्र सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1981 के नियम 52 और 54 के अनुसार, सरकारी कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक अवकाश नकदीकरण के लाभ के हकदार नहीं हैं; और यदि निजी कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों को अवकाश नकदीकरण के लाभ का हकदार माना जाता है, तो यह भेदभाव के रूप में माना जाएगा।

प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने तर्क दिया कि महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 की धारा 115(2) के मद्देनजर, धारा 115(1) में निर्दिष्ट अधिनियम के तहत बनाए गए मौजूदा अध्यादेश और विनियम लागू रहेंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय ने नए अध्यादेश नहीं बनाए हैं या मौजूदा अध्यादेशों को निरस्त नहीं किया है।

अपीलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

> 1994 विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के विश्लेषण से पता चलता है कि धारा 3(1) के तहत गठित विश्वविद्यालय स्वायत्त हैं और वे अपने कामकाज में स्वतंत्र हैं। हालांकि, राज्य सरकार कुछ मामलों में नियंत्रण का प्रयोग कर सकती है, जिसमें वित्तीय निहितार्थ वाले मामले भी शामिल हैं, और विश्वविद्यालयों के लिए बाध्यकारी निर्देश जारी कर सकती है। राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कोई विश्वविद्यालय कर्मचारियों को विशेष वेतन या

भत्ता या अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दे सकता है। इसी तरह, संबद्ध कॉलेजों के संबंध में कोई भी निर्णय जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त वित्तीय देयता उत्पन्न होती है, केवल राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही लिया जा सकता है। 1994 अधिनियम की धारा 115(2)(xii) के अनुसार, 1994 अधिनियम के लागू होने से पहले विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा बनाए गए अध्यादेशों को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि उन्हें नए अधिनियम के तहत बनाए गए अध्यादेशों द्वारा अधिरोपित या संशोधित नहीं किया जाता है।

महाराष्ट्र सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1981 में निहित प्रावधान विश्वविद्यालय के शिक्षकों और संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि संबद्ध कॉलेज शिक्षकों को अर्जित अवकाश के बदले भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति के हकदार हैं। हालांकि पुणे विश्वविद्यालय द्वारा पूना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 के तहत बनाए गए अध्यादेश संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों को अवकाश नकदीकरण का लाभ प्राप्त करने का अधिकार देते हैं, लेकिन न तो उस अधिनियम में और न ही 1994 अधिनियम में कोई प्रावधान है जो राज्य सरकार को अवकाश नकदीकरण का लाभ विश्वविद्यालय के शिक्षकों या संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों को देने के लिए बाध्य करता है और केवल यह तथ्य कि विशेष

विश्वविद्यालय के अध्यादेश शिक्षकों को अवकाश नकदीकरण प्रदान करने का प्रावधान करते हैं, संबंधित विश्वविद्यालय या कॉलेज को राज्य सरकार से प्रतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार नहीं देता है।

राज्य सरकार को विश्वविद्यालयों को अपने अध्यादेशों में संशोधन करने के निर्देश जारी करने में पूरी तरह से उचित ठहराया गया था। बेशक, कुछ संचारों में 1981 के नियमों के नियम 50, 52 और 54 का उल्लेख किया गया है, लेकिन यह इस तथ्य से कम नहीं करता है कि राज्य सरकार को इस तरह के निर्देश जारी करने की शक्ति है। यह एक अलग बात है कि पुणे विश्वविद्यालय लगभग दो साल तक राज्य सरकार द्वारा जारी बाध्यकारी निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने में विफल रहा।

खंडवा कॉलेज मामले में, इस अदालत ने राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों को अध्यादेशों में संशोधन करने के लिए समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों को स्वीकार किया और कहा कि जब तक अध्यादेश जो 1994 के अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं, संशोधित या अधिरोपित नहीं किए जाते हैं, तब तक वे लागू रहेंगे। हालांकि, इन टिप्पणियों को इस तरह से नहीं व्याख्यायित किया जा सकता है कि इससे विश्वविद्यालय या संबद्ध कॉलेजों को प्रतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार मिल जाए।

खंडवा कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी, जलागांव बनाम अर्जुन हरि नरखेडे (2011) 7 एससीसी 172: 2011 (7) एससीआर 175 को आधार बनाया गया।

सिविल अपीलीय अधिकार क्षेत्र: सिविल अपील संख्या 531-532/2013

24.08.2009 को रिट याचिका संख्या 6609/2009 में निर्णय और आदेश से, और 09.10.2009 को रिट याचिका संख्या 6609/2009 में सिविल आवेदन संख्या 2320/2009 में आदेश से, बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपील की गई है।

पेश होने वाली पार्टियों के लिए कॉलिन गोंजाल्विस, अनंत भूषण कंडे, चिन्मय खलदकर, तारिक अदीब, विजय कुमार उपस्थित हुए।

जीएस सिंघवी, जे.

1. इन अपीलों में विचार के लिए जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या प्रतिवादी नंबर 1 और 2 पुणे विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत अवकाश नकदीकरण के माध्यम से शिक्षकों को भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति के हकदार हैं।

2. डॉ. अनघा अनंत नाडकर्णी और डॉ. मोरेश्वर जे. बेडेकर, जो प्रतिवादी नंबर 1 कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे, नवंबर, 2003 में सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय शिकायत समिति

(संक्षेप में, 'समिति') के समक्ष अर्जित अवकाश के नकदीकरण हेतु आवेदन दायर किया।) । समिति ने दिनांक 3.5.2007 को आदेश पारित कर अर्जित अवकाश के एवज में राशि भुगतान की अनुशंसा की। हालाँकि, प्रतिवादी नंबर 1 ने समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई नहीं की। इसलिए, डॉ. अनघा अनंत नादकर्णी और डॉ. मोरेश्वर जे. बेडेकर ने अवकाश नकदीकरण की राशि का भुगतान करने के लिए प्रतिवादी नंबर 1 को एक परमादेश जारी करने के लिए 2007 की रिट याचिका संख्या 8763 और 8775 दायर की। इन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 11 अन्य रिट याचिकाओं के साथ दिनांक 7.4.2008 के आदेश के तहत निस्तारित किया था। डिवीजन बेंच ने रिट याचिका संख्या 4936/2006 -वीएस अगरकर बनाम अध्यक्ष, शिकायत सेल समिति, पुणे विश्वविद्यालय और अन्य में पारित दिनांक 22.1.2007 के आदेश को आधार मानते हुए कहा:

" इसलिए, सेवानिवृत्ति पर अप्रयुक्त अर्जित अवकाश को भुनाने के लिए याचिकाकर्ताओं के अधिकार के मुद्दे पर कोई विवाद नहीं हो सकता है, जिस पर वीएस अगरकर (सुप्रा) के मामले में विस्तार से चर्चा की गई है और इसलिए, हम इन याचिकाओं का निस्तारण प्रतिवादी-संस्था और प्रिंसिपल को इस निर्देश के साथ करते हैं कि जिस संस्थान में याचिकाकर्ता कार्यरत थे, उसके प्रिंसिपल याचिकाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए अधिकतम 180 दिन या उससे कम समय के लिए जिसके लिए याचिकाकर्ता हकदार हैं, नकदीकरण दें, और वे इस प्रक्रिया को आज से आठ सप्ताह की अवधि

में पूरा करेंगे। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि संस्थान याचिकाकर्ताओं की पात्रता के अनुसार अवकाश नकदीकरण के भुगतान के अपने दायित्व का निर्वहन करने के बाद, प्रतिवादी-राज्य से अनुदान के माध्यम से प्रतिपूर्ति का दावा करने का हकदार है।

3. रिट याचिका संख्या 2881/2007 -खानदेश कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी बनाम अर्जुन हरि नरखेड़े और अन्य में पारित एक अन्य आदेश दिनांक 9.6.2008 द्वारा, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने शिक्षकों को वीएस अगरकर के मामले में पारित आदेश के अनुसार अवकाश नकदीकरण का भुगतान करने का निर्देश दिया। साथ ही संस्थानों को राज्य से प्रतिपूर्ति लेने की छूट दी गई। उस आदेश को 20.6.2008 को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया गया था:

"हमने 9.6.2008 के सामान्य आदेश द्वारा इन याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है। याचिकाकर्ता द्वारा WP संख्या 6540/2007 में यह बताया गया है कि इस अदालत ने देखा है कि शिकायत समिति ने याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि यह देरी से बाधित है क्योंकि याचिकाकर्ता ने तीन वर्ष की समाप्ति के बाद में शिकायत समिति से संपर्क किया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि यह बयान उचित निर्देशों के बिना दिया गया था। दरअसल, शिकायत समिति ने याचिकाकर्ता के पक्ष में रिपोर्ट दी थी, जिसे याचिका दायर होने के बाद

शिकायत समिति ने इस पर विवेचन किया। इसलिए, हम इसे पैराग्राफ संख्या 4 के अंत में पढ़ने के लिए रिकॉर्ड करते हैं जिसे बाद में वकील ने उपरोक्त के रूप में प्रस्तुत किया है। यह किसी भी तरह से याचिकाकर्ता के पक्ष में अदालत द्वारा दी गई वास्तविक राहत को प्रभावित नहीं करता है।

2. विद्वान एजीपी ने प्रस्तुत किया कि इस अदालत ने पैराग्राफ के समापन में कहा है कि प्रतिवादी - संस्थान प्रतिवादी - राज्य से अनुदान के माध्यम से प्रतिपूर्ति का दावा करने का हकदार होगा। केवल यह सुधार करने की आवश्यकता है कि राज्य का दायित्व प्रतिवादी के कानून के तहत स्वीकार्य होने के दावे के अधीन होगा। इसलिए, यदि कानून के तहत स्वीकार्य हो तो हम पैराग्राफ संख्या 9 के निष्कर्ष में एक वाक्य जोड़ते हैं। हमारा आदेश तदनुसार पढ़ा जाए।"

4. खानदेश कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी ने उच्च न्यायालय के आदेशों को एसएलपी (सी) संख्या 17039-17040/2008 में चुनौती दी, जिसे इस न्यायालय ने दिनांक 5.7.2011 के आदेश के तहत समान विशेष अनुमति याचिकाओं के साथ निस्तारित किया था। दो जजों की बेंच ने पहले इस सवाल पर विचार किया कि क्या महाराष्ट्र सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1981 (संक्षेप में, '1981 नियम') के प्रावधान प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा नियोजित शिक्षकों पर लागू होते हैं, और अभिनिर्धारित किया:

"महाराष्ट्र सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1981 के नियम 54 के विभिन्न प्रावधानों की भाषा से यह स्पष्ट है कि यह केवल "एक सरकारी कर्मचारी" पर लागू होता है। उत्तरदाता 1 से 14 सरकारी सेवक नहीं हैं और इसलिए, महाराष्ट्र सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1981 के नियम 54 में किए गए प्रावधानों के आधार पर अर्जित अवकाश से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद खंडपीठ ने महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 (संक्षेप में, '1994 अधिनियम'), पुणे विश्वविद्यालय के क़ानून 424(3) और 424(सी) के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख किया और कहा:

"दूसरी ओर, अधिनियम की धारा 115, महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न विश्वविद्यालयों पर लागू विभिन्न अधिनियमों को निरस्त करते हुए उप-धारा (2) (xii) में प्रावधान करती है कि किसी भी मौजूदा विश्वविद्यालय के संबंध में निरस्त अधिनियमों के तहत बनाए गए सभी क़ानून जहां तक वे अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं, वे लागू रहेंगे और संबंधित विश्वविद्यालय के संबंध में अधिनियम के तहत बनाए गए माने जाएंगे जब तक कि वे अधिनियम के तहत बनाए गए क़ानूनों द्वारा प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं किए जाते हैं। इसलिए, पुणे विश्वविद्यालय के क़ानून 424(3) और 424(सी), जो विश्वविद्यालय पर लागू थे, लागू रहेंगे और अधिनियम के तहत बनाए गए माने जाएंगे यदि वे अधिनियम के किसी प्रावधान के साथ असंगत नहीं हैं या अधिनियम के तहत बनाए गए क़ानूनों द्वारा प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं किए गए हैं।

अधिनियम की धारा 5(60), 8 और 14(5) राज्य सरकार को कुछ मामलों में विश्वविद्यालय पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान करती है और राज्य सरकार को विश्वविद्यालय को निर्देश जारी करने और उपाध्यक्ष पर कर्तव्य डालने का अधिकार भी देती है। कुलाधिपति को ऐसे निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, लेकिन अधिनियम के ये प्रावधान किसी भी संबद्ध कॉलेज के शिक्षक या व्याख्याता को अर्जित अवकाश देने पर रोक नहीं लगाते हैं, जो अर्जित अवकाश के हकदार होने या संचयी अर्जित राशि के सेवानिवृत्ति के समय नकदीकरण के हकदार होने का लाभ उठा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, पुणे विश्वविद्यालय के क़ानून 424(3) और 424(सी) किसी भी तरह से अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं और राज्य सरकार के विद्वान वकील ने पुणे विश्वविद्यालय के क़ानून 424(3) या क़ानून 424(सी) को संशोधित या प्रतिस्थापित करने वाले विश्वविद्यालय के किसी क़ानून को भी हमारे ध्यान में नहीं लाया है जो विश्वविद्यालय पर लागू थे।

पुणे विश्वविद्यालय के क़ानून 424(3) और 424(सी) यहां नीचे दिए गए हैं:

424. (3). अवकाश.

(ए)-(बी) * *

(सी) अर्जित अवकाश-

पुष्टि किए गए गैर-अवकाश शिक्षक ड्यूटी पर बिताई गई अवधि के एक-ग्यारहवें की दर से अर्जित अवकाश के हकदार होंगे, बशर्ते कि उनकी अधिकतम 180 दिनों की अवकाश जमा हो।

उपरोक्त (ए) में शामिल शिक्षक के अलावा अन्य शिक्षक ड्यूटी पर बिताई गई अवधि के सत्ताईसवें हिस्से और अर्जित अवकाश की अवधि के हकदार होंगे, जैसा कि धारा 423 के परंतुक में प्रदान किया गया है, बशर्ते कि उनका अधिकतम 180 दिन संचय हो। इस प्रयोजन के लिए केवल कार्य दिवसों की अवधि पर विचार किया जाएगा।" * * *

"424(सी). सेवानिवृत्ति पर अप्रयुक्त अर्जित अवकाश का नकदीकरण--शिक्षक अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि पर अधिकतम 180 दिनों के अधीन अपने खाते में जमा अर्जित अवकाश को भुनाने का हकदार होगा।

यदि शिक्षक को अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद शैक्षणिक सत्र के अंत तक सेवा करने की आवश्यकता होती है, तो वह सेवा से अपनी वास्तविक सेवानिवृत्ति की तारीख पर अर्जित अवकाश की शेष राशि को अपने खाते में भुनाने का हकदार होगा। उपरोक्त क़ानून 424(3) को पढ़ने से पता चलता है कि खंड (ए) पुष्टि किए गए गैर-अवकाश शिक्षकों पर लागू होता है और खंड (बी) गैर-अवकाश शिक्षकों के अलावा अन्य शिक्षकों पर लागू होता है और खंड (बी) स्पष्ट रूप से बताता है कि गैर-अवकाश वाले शिक्षकों के अलावा अन्य शिक्षक -अवकाश शिक्षक अधिकतम 180 दिनों के संचय के

अधीन अर्जित अवकाश के हकदार होंगे। ऊपर उद्धृत क़ानून 424 (सी) में आगे प्रावधान है कि शिक्षक अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख पर अधिकतम 180 दिनों के अधीन अर्जित अर्जित अवकाश को अपने खाते में शेष राशि में भुनाने के हकदार होंगे।

हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने समय-समय पर विश्वविद्यालयों को परिनियमों में संशोधन करने के निर्देश जारी किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अवकाश विभागों में कार्यरत व्याख्याता या शिक्षक अर्जित अवकाश और अर्जित अवकाश के नकदीकरण के हकदार नहीं हैं, लेकिन तथ्य यह है कि पुणे विश्वविद्यालय के क़ानून 424(3) और 424(सी) को संशोधित या प्रतिस्थापित नहीं किया गया है। अधिनियम में इस आशय का कोई प्रावधान नहीं है कि किसी विश्वविद्यालय की परिनियमावली जो राज्य सरकार के निर्देशों से असंगत है, अमान्य होगी। धारा 115(2)(xii) में कहा गया है कि जो क़ानून अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं और जिन्हें संशोधित या प्रतिस्थापित नहीं किया गया है वे लागू रहेंगे। इसलिए, प्रतिवादी 1 से 14 पुणे विश्वविद्यालय के क़ानून 424(3) और 424(सी) के प्रावधानों के अनुसार अर्जित अवकाश और अर्जित अवकाश के नकदीकरण के हकदार थे।

5. उपरोक्त टिप्पणियों को दर्ज करने के बाद, बेंच ने अनुमति देने से इनकार कर दिया, लेकिन एसएलपी याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए तीन महीने का समय दिया।

6. 1994 अधिनियम के लागू होने के 3 साल बाद, जिसके परिणामस्वरूप पूना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 सहित विभिन्न मौजूदा क़ानून निरस्त हो गए, जिसके तहत क़ानून 424(3) और 424(सी) बनाए गए थे, राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए विश्वविद्यालयों को यह बताते हुए शिक्षकों को अवकाश नकदीकरण का भुगतान बंद करना होगा कि वे 'अवकाश विभाग' में काम करने वाले कर्मचारियों की श्रेणियों में आते हैं। राज्य सरकार ने रिट याचिका संख्या 2671/2006 और अवमानना याचिका संख्या 191/2006 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का भी संज्ञान लिया और निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय परिनियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित किया जाना चाहिए और तब तक, संबंधित विश्वविद्यालय को अवकाश नकदीकरण के भुगतान में होने वाला व्यय वहन करें। इसे शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), महाराष्ट्र द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को भेजे गए दिनांक 20.10.2008 के पत्र के माध्यम से दोहराया गया था।

7. राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को आगे बढ़ाते हुए, पुणे विश्वविद्यालय के कुलपति ने दिनांक 1.2.2009 को आदेश पारित किया, जो इस प्रकार है:

"जबकि महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल ने महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 (महाराष्ट्र अधिनियम संख्या XXXV, 1994) अधिनियमित किया है, जो 22 जुलाई, 1994 से लागू हो गया है।

और जबकि महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम 1994 की धारा 51(8) के अनुसार, विश्वविद्यालय के पास क़ानून बनाकर शिक्षकों की सेवाओं के नियम और शर्तें निर्धारित करने की शक्ति है।

और जबकि विश्वविद्यालय ने, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 51(8) के अनुसार निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, शिक्षकों को अर्जित अवकाश की पात्रता, समर्पण और नकदीकरण के संबंध में क़ानून तैयार किया है।

राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांक 9 अगस्त, 2007 द्वारा विश्वविद्यालय को अर्जित अवकाश के प्रावधानों को निरस्त करने हेतु आदेश दिया है, क्योंकि विश्वविद्यालय के अवकाश के शिक्षक परिनियम में भूतलक्षी प्रभाव से अर्जित अवकाश के हकदार नहीं हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेज छुट्टियों का लाभ उठाते हैं, वे अर्जित अवकाश के हकदार नहीं हैं।

और जबकि राज्य सरकार ने अपने अगले पत्र दिनांक 20 अक्टूबर, 2008 के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों को पत्र की तारीख से एक महीने की

अवधि के भीतर पूर्वव्यापी प्रभाव से अर्जित अवकाश के प्रावधानों को निरस्त करने का निर्देश दिया।

और जबकि महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 की धारा 14(5) के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुनिश्चित करना कुलपति का कर्तव्य है कि राज्य सरकार के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।

और जबकि महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 की धारा 5(60) के अनुसार, विश्वविद्यालय को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश का पालन करना होगा।

और जबकि अर्जित अवकाश के नकदीकरण के संबंध में परिनियम 424(सी) को पूर्वव्यापी प्रभाव से निरस्त करने के संबंध में एक प्रस्ताव 22 अगस्त, 2008 को आयोजित बैठक में प्रबंधन परिषद के समक्ष रखा गया था।

और जबकि विश्वविद्यालय की प्रबंधन परिषद ने अपनी उपरोक्त बैठक में निर्णय लिया कि क़ानून 424 (सी) को निरस्त करने के संबंध में एक प्रशासनिक निर्णय लिया जाए और महाराष्ट्र एवं विश्वविद्यालय अधिनियम , 1994 की धारा 14(5) और धारा 5(60) के प्रावधानों के मद्देनजर इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएं। ।

और जबकि विश्वविद्यालय की प्रबंधन परिषद ने 1 अक्टूबर, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में क़ानून 424 (जी) को निरस्त करने के संबंध में

अपने पहले के निर्णय की पुष्टि की,महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम 1994 की धारा 5(60) और धारा 14(5) के प्रावधानों के मद्देनजर इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएं। और निर्धारित किया गया कि उक्त निर्णय 1 फरवरी, 2009 से लागू किया जाएगा।

और चूँकि उक्त क़ानून को निरस्त करने और उसे महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 की धारा 52 में निर्धारित अनुसार विश्वविद्यालय में वैधानिक प्राधिकारियों के समक्ष रखने में कुछ समय लगेगा।

इसलिए, मैं पुणे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. नरेंद्र दामोदर जाधव, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 की धारा 14 की उपधारा 8 के तहत निहित शक्तियों के तहत निम्नलिखित निर्देश जारी करता हूं;

शिक्षक क़ानून 424 (सी) 1 फरवरी, 2009 से निरस्त कर दिया गया है।

संदर्भ: क्रमांक LAW/2009/73 डॉ. नरेंद्र जाधव दिनांक 1.2.2009 कुलपति।

वर्तमान क़ानून	प्रस्तावित संशोधन	के बाद क़ानून
क़ानून 424 (सी)	क़ानून 424(सी) हटा दें	

सेवानिवृत्ति पर अप्रयुक्त अर्जित अवकाश का नकदीकरण शिक्षक अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि पर अधिकतम 180 दिनों के अधीन अपने खाते में

जमा अर्जित अवकाश को भुनाने का हकदार होगा।यदि शिक्षक को अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद शैक्षणिक सत्र के अंत तक सेवा करने की आवश्यकता होती है,तो वह सेवा से अपनी वास्तविक सेवानिवृत्ति की तारीख पर अर्जित अवकाश की शेषराशि को अपने खाते में भुनाने का हकदार होगा।

(आदेश एसएलपी पेपर-बुक से निकाला गया है)

8. राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों से व्यथित महसूस करते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने डॉ. अनघा अनंत नादकर्णी और डॉ. मोरेश्वर जे. बेडेकर को भुगतान की गई कुल राशि 4,46,815/- रुपये की प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार को एक परमादेश जारी करने के लिए और एक घोषणा देने के लिए कि राज्य सरकार अवकाश नकदीकरण के माध्यम से अन्य शिक्षकों को भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है, रिट याचिका संख्या 6609/2009 दायर की।

9. राज्य सरकार ने 1981 के नियमों के प्रावधानों और पूर्वव्यापी प्रभाव से परिनियमों को निरस्त करने के लिए जारी निर्देशों को आधार मानते हुए रिट याचिका का विरोध किया और दलील दी कि रिट याचिकाकर्ता 'अवकाश विभाग' में नियोजित शिक्षकों को भुगतान किए गए अवकाश नकदीकरण की प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं हैं।

10. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने रिट याचिका संख्या 8763/2007 और संबंधित मामलों में पारित आदेश दिनांक 7.4.2008 का हवाला दिया और सहायक सरकारी अधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान कि शिक्षकों को भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति अनुदान के माध्यम से की जाएगी का संज्ञान लेते हुए दिनांक 24.8.2009 के आदेश के तहत रिट याचिका का निस्तारण किया। उच्च शिक्षा निदेशक एवं अन्य ने आदेश दिनांक 24.8.2009 में संशोधन के लिए सिविल आवेदन क्रमांक 2320/2009 दायर किया। उच्च न्यायालय द्वारा 9.10.2009 को सहायक सरकारी वकील को उनके द्वारा दी गई रियायत से मुक्त करते हुए इसका निस्तारण किया। हालाँकि, अर्जित अवकाश के बदले में संस्थानों द्वारा शिक्षकों को भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति के लिए दिए गए निर्देश को इस आधार पर बरकरार रखा गया था कि रिट याचिका संख्या 8763/2007 में पारित आदेश दिनांक 7.4.2008 और बैच अंतिम हो गया है।

11. 3.11.2009 को, इस न्यायालय ने एसएलपी (सी) संख्या 27286- 27287/2009 में नोटिस का आदेश दिया, लेकिन निम्नलिखित टिप्पणियों को दर्ज करके विशेष अनुमति याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया:

"ये एसएलपी रिट याचिकाओं के एक बैच में दिनांक 7.4.2008 के सामान्य आदेश से उत्पन्न हुए हैं। इसमें 480 दिन की देरी हुई है.यह प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 7.4.2008 के आदेश का पालन मामलों के एक अन्य बैच - खानदेश कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी बनाम अर्जुन हरि नरखेड़े और अन्य । और संबंधित मामले WPNo.2881/2007 दिनांक 9.6.2008 में किया गया है। बाद में, यह पाया गया कि एक स्पष्ट चूक थी, उच्च न्यायालय ने दिनांक 9.6.2008 के आदेश में संशोधन किया, आदेश दिनांक 20.6.2008 द्वारा "प्रतिवादी-राज्य से अनुदान के माध्यम से प्रतिपूर्ति का दावा करने के हकदार हैं" शब्दों के बाद "यदि कानून के तहत स्वीकार्य है" शब्द जोड़ दिया गया।"। यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने WP(C) संख्या 2881/2007 में दिनांक 9.6.2008 के आदेश में उक्त संशोधन किया है, उसे उक्त सुधार आक्षेपित आदेश दिनांक 7.4.2008 में भी करना चाहिए था, क्योंकि उस आदेश में भी निरीक्षण द्वारा इसी तरह की चूक शामिल थी। इसलिए, यह उचित होगा यदि याचिकाकर्ता-राज्य उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए और इंगित करे कि दिनांक 9.6.2008 के आदेश में जो सुधार आवश्यक पाया गया है वह दिनांक 9.6.2008 के आदेश को सही करते समय इसे आदेश 7.4.2008 में भी किया जाना चाहिए था।"

12. इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को आगे बढ़ाते हुए, अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.4.2008 के

स्पष्टीकरण के लिए आवेदन दायर किए। प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने आवेदनों में की गई प्रार्थना का यह कहकर विरोध किया कि राज्य द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राहत की प्रकृति को पूरी तरह से बदल देंगे। आपत्तियों पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने दिनांक 3.5.2011 को आदेश पारित किया, जिसके पैराग्राफ 5, 6 और 7 इस प्रकार हैं:

"5. हमारी राय में, आवेदक-महाराष्ट्र राज्य द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण एक सौम्य स्पष्टीकरण है। चूँकि, प्रतिवादी (मूल रिट याचिकाकर्ता) या उस स्कूल का प्रबंधन जिसमें शिक्षक कार्यरत थे और उन्हें अवकाश नकदीकरण राशि का भुगतान किया गया है, यह तर्क देने के लिए नहीं सुना जा सकता है कि प्रबंधन उनके द्वारा भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा। भले ही वह कानून में अस्वीकार्य हो। दूसरे शब्दों में, आदेश दिनांक 7.4.2008 में निहित निर्देशों का अर्थ यह समझना होगा कि प्रबंधन प्रतिवादी-राज्य से अनुदान के माध्यम से शिक्षकों को अवकाश नकदीकरण के रूप में उसके द्वारा भुगतान की गई राशि की सीमा तक प्रतिपूर्ति का दावा करने का हकदार होगा, यदि कानून में अनुमति हो।

6. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, हम पैराग्राफ 4 के अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़कर इन सभी नागरिक आवेदनों की अनुमति देते हैं:-

"यदि कानून में अनुमति हो।"

7. हालाँकि, हम प्रबंधन के साथ-साथ शिक्षकों (मूल रिट याचिकाकर्ताओं) के अनुमोदन को दर्ज करते हैं कि तथ्य यह है कि इस तरह का स्पष्टीकरण जारी किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रबंधन कानून में प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जिसकी अवसर आने पर उचित कार्यवाही में जांच की जाएगी।"

13. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री चिन्मय खलादकर ने 1994 के अधिनियम, 1981 के नियमों के प्रावधानों का हवाला दिया और तर्क दिया कि अपीलकर्ता प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा शिक्षकों को अवकाश नकदीकरण के माध्यम से भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति करने के लिए बाध्य नहीं हैं क्योंकि पुणे विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए कानून पूना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 और न ही कोई अन्य अधिनियम अर्जित अवकाश के बदले भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति का आदेश देता है। विद्वान वकील ने बताया कि 1981 के नियमों के नियम 52 और 54 के अनुसार, सरकारी कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक अवकाश नकदीकरण के लाभ के हकदार नहीं हैं

और तर्क दिया कि यह निजी कॉलेजों जो विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं उनमें जो शिक्षक कार्यरत हैं उनके साथ घृणित भेदभाव होगा।

14. प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कॉलिन गोंसाल्वेस ने तर्क दिया कि 3.5.2011 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बावजूद, अपीलकर्ता कॉलेजों द्वारा शिक्षकों को अवकाश नकदीकरण के रूप में भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति करने के लिए बाध्य हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि धारा 115(2) के मद्देनजर , धारा 115 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमों के तहत बनाए गए मौजूदा क़ानून और अध्यादेशों को बचाया हुआ माना जाएगा क्योंकि विश्वविद्यालय ने नए क़ानून नहीं बनाए हैं या मौजूदा क़ानूनों को निरस्त कर दिया।

15. हमने संबंधित तर्कों पर विचार किया है। धारा 3(1), 5(9), 5(49), 5(57), 5(60), 8(1)(ए) से 8(सी), 8(1)(जी), 8(2), 8(3), 8(4), 14(5), 51(5), 51(8), 52(6), 115(1) और 115(2)(xii) 1994 अधिनियम, नियम 50(1)(ए), 50(1)(बी), 52, 54(1), 54(2), 1981 के नियमों और क़ानून 424(3) और 424(सी) के परिशिष्ट II का प्रासंगिक उद्धरण, जिसका इन अपीलों पर प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार हैं:

1994 अधिनियम.

"3. विश्वविद्यालयों का निगमन:- (1) अनुसूची के भाग । के कॉलम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक मौजूदा विश्वविद्यालय के संबंध में, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से, उसके सामने निर्दिष्ट नाम के साथ संबंधित विश्वविद्यालय उक्त भाग के कॉलम (2) में, इस अधिनियम के तहत उक्त भाग के कॉलम (3) में निर्दिष्ट उसी क्षेत्र के लिए गठित किया गया है, जिसके लिए इसे इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से ठीक पहले गठित किया गया था।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ एवं कर्तव्य:- विश्वविद्यालय के पास निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे,

(1) से (8) xxx xxx xxx

(9) राज्य सरकार की पूर्वानुमति से विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक निदेशकों, प्राचार्यों, प्रोफेसरों, पाठकों, व्याख्याताओं और अन्य शिक्षण या गैर-अवकाश शैक्षणिक पदों का सृजन करना और उनकी योग्यताएं निर्धारित करना और उनके आधार पर नियुक्तियां करना;

(10) से (48) xxx xxx xxx

(49) शिक्षकों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए आचार संहिता, कार्यभार, प्रदर्शन मूल्यांकन के मानदंड और विश्वविद्यालय की राय में ऐसे अन्य निर्देश या दिशा-निर्देश सहित सेवा शर्तें निर्धारित करना जो शैक्षणिक मामलों में आवश्यक हो सकता है;

(50) से (56) xxx xxx xxx

(57) विश्वविद्यालय, संस्थानों और कॉलेजों के शिक्षकों, गैर-अवकाश शैक्षणिक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक परिचालन योजना विकसित करना;

(58) से (59) xxx xxx xxx

(60)विश्वविद्यालय की उपरोक्त शक्तियों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के संदर्भ में, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी निर्देश का अनुपालन और कार्यान्वयन करना।

8. राज्य सरकार का नियंत्रण और विश्वविद्यालय: - (1) राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना, विश्वविद्यालय यह नहीं करेगा, -

(ए) शिक्षकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के नए पद सृजित करना;

(बी) अपने शिक्षकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों और अन्य लाभों को संशोधित करेगा;

(सी) अपने किसी भी शिक्षक, अधिकारी या अन्य कर्मचारियों को अनुग्रह राशि, भुगतान या वित्तीय निहितार्थ वाले अन्य लाभों सहित किसी भी विवरण का कोई विशेष वेतन, भत्ता या अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक प्रदान करना;

से (एफ) xxx xxx xxx

संबद्ध महाविद्यालयों के संबंध में कोई भी निर्णय लेना जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय दायित्व बढ़ जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय प्राप्त निम्नलिखित धनराशि से व्यय करने में सक्षम होगा, -

राज्य सरकार के किसी शेयर या योगदान के बिना विभिन्न फंडिंग एजेंसियां;

स्व-सहायता आधार पर शुरू किए गए शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए शुल्क;

विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तियों, उद्योगों, संस्थानों, संगठनों या किसी भी व्यक्ति से प्राप्त योगदान;

विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली शैक्षणिक या अन्य सेवाओं के लिए योगदान या शुल्क;

विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित विकास निधि, यदि कोई हो;

इन उद्देश्यों के लिए -

(i) विशिष्ट अवधि के लिए विभिन्न श्रेणियों में पदों का सृजन;

(ii) अपने स्वयं के कोष से सृजित पदों पर वेतन, भत्ते और अन्य लाभ देना, बशर्ते कि वे पद ऐसे व्यक्तियों के पास न हों, जो उन पदों को धारण कर रहे हों जिनके लिए सरकारी योगदान प्राप्त होता है;

(iii) स्वावलंबी आधार पर कोई शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करना;

(iv) किसी भी विकास कार्य पर व्यय करना;

मामले को राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए संदर्भित किए बिना, बशर्ते कि राज्य सरकार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तत्काल या भविष्य में कोई वित्तीय दायित्व न हो।

(3) राज्य सरकार इस अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार, समान मानकों को सुरक्षित और बनाए रखने के उद्देश्य से, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, चयन और नियुक्ति के वर्गीकरण, तरीके और मोड, अधिशेष हुए शिक्षकों और कर्मचारियों का अवशोषण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति और घुमंतू जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के पक्ष में पद का आरक्षण, कर्तव्य कार्यभार, वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ, अन्य लाभ , विश्वविद्यालयों के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों और संबद्ध महाविद्यालयों और मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के आचरण और अनुशासनात्मक मामले और सेवा की अन्य शर्तें (राज्य सरकार, केंद्र सरकार और द्वारा प्रबंधित और बनाए गए को छोड़कर) के लिए एक मानक

कोड निर्धारित कर सकती है। जब ऐसी संहिता निर्धारित की जाती है, तो संहिता में किए गए प्रावधान प्रभावी होंगे, और संहिता में शामिल मामलों के लिए इस अधिनियम के तहत बनाए गए क़ानून, अध्यादेश, विनियम और नियमों में किए गए प्रावधान उस हद तक अमान्य होंगे जिस हद तक वे असंगत हैं।

(4) धारा 5 में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने या कर्तव्यों का पालन करने में विश्वविद्यालय की विफलता के मामले में या जहां विश्वविद्यालय ने ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया है या ऐसे कर्तव्यों का पर्याप्त रूप से पालन नहीं किया है, या जहां राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश का पालन करने में विफलता हुई है, तो राज्य सरकार, ऐसी जांच करने पर, जो वह उचित समझे, विश्वविद्यालय को ऐसी शक्तियों के उचित प्रयोग या ऐसे कर्तव्यों के प्रदर्शन या आदेश का अनुपालन करने के लिए निर्देश जारी कर सकती है; और ऐसे निर्देश का अनुपालन करना विश्वविद्यालय का कर्तव्य होगा।

बशर्ते कि, यदि विश्वविद्यालय निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय से लिखित में कारण बताने के लिए कहेगी कि निर्देशों का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। यदि राज्य सरकार स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है, तो वह धारा 9 की उपधारा (3) के तहत

आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मामले को कुलाधिपति के पास भेज सकती है ।

(5) xxx xxx xxx

14. कुलपति की शक्तियां एवं कर्त्तव्य:-

(1) से (4) xxx xxx xxx

(5) यह सुनिश्चित करना कुलपति का कर्तव्य होगा कि राज्य सरकार के निर्देशों, यदि कोई हो, और अधिनियम, क़ानून, अध्यादेशों और विनियमों के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए और अधिकारियों, निकायों और समितियों के निर्णयों का कड़ाई से पालन किया जाए। जो अधिनियम, क़ानून, अध्यादेश या विनियम के साथ असंगत नहीं हैं, उन्हें ठीक से लागू किया जाता है।

(6) से (14) xxx xxx xxx

51. क़ानून:- इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, क़ानून निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं,: -

(1) से (4) xxx xxx xxx

(5) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की वरिष्ठता और सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत;

(6) से (7) xxx xxx xxx

(8) योग्यता, भर्ती, कार्यभार, आचार संहिता, कार्यालय की शर्तें, कर्तव्य और सेवा की शर्तें, जिसमें विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों (राज्य या केंद्र सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संचालित कॉलेजों या संस्थानों को छोड़कर) के शिक्षकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पेंशन, ग्रेच्युटी और भविष्य निधि का प्रावधान, उनकी सेवाओं की समाप्ति का तरीका, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित, का आवधिक मूल्यांकन शामिल है।

(9) से (17) xxx xxx xxx

52. क़ानून कैसे बने:-

(1) से (5) xxx xxx xxx

(6) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, कुलाधिपति, या तो स्वप्रेरणा से या राज्य सरकार की सलाह पर, विश्वविद्यालय को उसके द्वारा निर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में क़ानून में प्रावधान करने का निर्देश दे सकता है और यदि सीनेट अपनी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर इस तरह के निर्देश को लागू करने में विफल रहता है, तो चांसलर, ऐसे निर्देश का पालन करने में असमर्थता के लिए सीनेट द्वारा सूचित कारणों, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, क़ानून को उचित रूप से बना या संशोधित कर सकता है।

115. निरसन और बचत:- (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से,-

बॉम्बे विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 (1974 का महा.XXII);

पूना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 (1974 का महा.XXIII);

शिवाजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 (1974 का महा.XXIV);

डॉ.बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 (1974 का महा.XXV);

अधिनियम, 1974 (1974 का महा.XXVI);

श्रीमती नाथीबाई दामोदर थैकर्सी महिला विश्वविद्यालय अधिनियम , 1974 (1974 का महा.XXVII)

अमरावती विश्वविद्यालय अधिनियम, 1983 (1983 का महाराष्ट्र XXXVII); और

उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 1989, निरस्त कर दिया जाएगा (1989 का महा.XXIX)।

(2) उक्त अधिनियमों के निरसन के बावजूद, -

(i) से (xi) xxx xxx xxx

(xii) किसी भी मौजूदा विश्वविद्यालय के संबंध में उक्त अधिनियमों के तहत बनाए गए सभी क़ानून और अध्यादेश, जहां तक वे इस अधिनियम

के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं, लागू रहेंगे और इस अधिनियम के तहत सीनेट या प्रबंधन परिषद द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय का, जैसा भी मामला हो, उस विश्वविद्यालय का बनाए गए माने जाएंगे जब तक कि उन्हें इस अधिनियम के तहत संशोधित नहीं किया जाता ।

1981 नियम.

"50. अवकाश विभाग के अलावा अन्य विभागों में सेवारत सरकारी सेवकों के लिए अर्जित अवकाश-

(1)प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के अवकाश खाते में, जो अवकाश विभाग के अलावा किसी अन्य विभाग में सेवारत है, अर्जित अवकाश अग्रिम रूप से प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के जनवरी और जुलाई के पहले दिन 15 दिनों की दो किश्तों में जमा किया जाएगा। ।

पिछले आधे वर्ष के अंत में एक सरकारी कर्मचारी के खाते में जमा अवकाश को अगले आधे वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, इस शर्त के अधीन कि इस प्रकार आगे बढ़ाई गई अवकाश और आधे वर्ष के लिए जमा राशि 240 दिनों की सीमा से अधिक न हो।

52. अवकाश विभाग - एक अवकाश विभाग, अपवादों के अधीन और परिशिष्ट II में बताई गई सीमा तक, एक विभाग या विभाग का हिस्सा है जिसमें नियमित छुट्टियों की अनुमति होती है, जिसके दौरान विभाग में

सेवारत एक सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाती है।.

54. अवकाश विभागों में सेवारत व्यक्तियों के लिए अर्जित अवकाश - (1) अवकाश विभाग में सेवारत एक सरकारी कर्मचारी किसी भी वर्ष में किए गए कर्तव्य के संबंध में किसी भी अर्जित अवकाश का हकदार नहीं होगा, जिसमें वह पूर्ण अवकाश का लाभ उठाता है।

(2)(ए) किसी भी वर्ष के संबंध में जिसमें एक सरकारी कर्मचारी अवकाश के एक हिस्से का उपयोग करता है, वह 30 दिनों के अनुपात में अर्जित अवकाश का हकदार होगा, जितनी अवकाश के दिनों की संख्या नहीं ली गई है पूरी छुट्टियाँ:

बशर्ते कि किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवा के पहले वर्ष के संबंध में ऐसी कोई अवकाश स्वीकार्य नहीं होगी जो स्थायी रोजगार में नहीं है।

यदि, किसी वर्ष में, सरकारी कर्मचारी किसी भी अवकाश का लाभ नहीं उठाता है, तो उसे नियम 50 के तहत उस वर्ष के संबंध में अर्जित अवकाश स्वीकार्य होगी।

स्पष्टीकरण -इस नियम के प्रयोजनों के लिए, शब्द "वर्ष" का अर्थ कैलेंडर वर्ष नहीं बल्कि अवकाश विभाग में बारह महीने की वास्तविक ड्यूटी के रूप में लिया जाएगा।

नोट 1.-अवकाश के हकदार एक सरकारी कर्मचारी को अवकाश या अवकाश के एक हिस्से का लाभ उठाने के लिए हकदार माना जाएगा, जब तक कि उसे उच्च प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसी अवकाश या अवकाश के हिस्से को छोड़ने की आवश्यकता न हो; बशर्ते कि यदि उसे ऐसे आदेश द्वारा पंद्रह दिनों से अधिक अवकाश का आनंद लेने से रोका गया है, तो यह माना जाएगा कि उसने अवकाश के किसी भी हिस्से का लाभ नहीं उठाया है।

नोट 2.- जब अवकाश विभाग में सेवारत एक सरकारी कर्मचारी ड्यूटी का पूरा वर्ष पूरा करने से पहले अवकाश पर जाता है, तो उसे स्वीकार्य अर्जित अवकाश की गणना उन छुट्टियों के संदर्भ में नहीं की जाएगी जो अवकाश पर आगे बढ़ने से पहले प्रदान की गई वास्तविक ड्यूटी की अवधि के दौरान आती हैं लेकिन उस तारीख से शुरू होने वाली वर्ष के दौरान पड़ने वाली छुट्टियों के संदर्भ में, जिस दिन उसने ड्यूटी का पिछला वर्ष पूरा किया था।

परिशिष्ट II (नियम 52 देखें)

अवकाश/गैर-अवकाश विभाग में सेवारत सरकारी सेवकों की सूची नियम 52 की शर्तें पूरी होने पर सरकारी सेवकों की निम्नलिखित श्रेणियां अवकाश विभागों में सेवा करती हैं:-

1. शिक्षा निदेशालय के तहत, - (i) कक्षा I, II और III से संबंधित सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख।

(ii) सरकारी कला, विज्ञान, वाणिज्य और विधि महाविद्यालयों में कक्षा I, II और III में प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, अनुसंधान सहायक, व्याख्याता, सहायक व्याख्याता, प्रदर्शक, शिक्षक, जैसा भी मामला हो।

(iii) सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कक्षा I, II और III में प्रोफेसर, व्याख्याता, समन्वयक, सहायक व्याख्याता आदि, जैसा भी मामला हो।

(iv) सरकारी कॉलेजों और माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षक।

(v) सरकारी कॉलेजों और माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला परिचारक।

(vi) सरकारी प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थानों और अन्य विशेष संस्थानों में व्याख्याता या अन्य शिक्षक।

(vii) गैर-अवकाश विभाग से संबंधित बताए गए कर्मचारियों को छोड़कर सरकारी संस्थानों में अन्य सभी कर्मचारी। क़ानून "424. (3). अवकाश।-

(बी)* * *

अर्जित अवकाश.-

पुष्टि किए गए गैर-अवकाश शिक्षक ड्यूटी पर बिताई गई अवधि के एक-ग्यारहवें की दर से अर्जित अवकाश के हकदार होंगे, बशर्ते कि उनकी अधिकतम 180 दिनों की अवकाश जमा हो।

उपरोक्त (ए) में शामिल शिक्षक के अलावा अन्य शिक्षक ड्यूटी पर बिताई गई अवधि के सत्ताईसवें हिस्से और अर्जित अवकाश की अवधि के हकदार होंगे, जैसा कि धारा 423 के परंतुक में प्रदान किया गया है, बशर्ते कि उनका अधिकतम संचय 180 दिन हो । इस प्रयोजन के लिए केवल कार्य दिवसों की अवधि पर विचार किया जाएगा।

424 सेवानिवृत्ति पर अप्रयुक्त अर्जित अवकाश का नकदीकरण--शिक्षक अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि पर अधिकतम 180 दिनों के अधीन अपने खाते में जमा अर्जित अवकाश को भुनाने का हकदार होगा।

यदि शिक्षक को अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद शैक्षणिक सत्र के अंत तक सेवा करने की आवश्यकता होती है, तो वह सेवा से अपनी वास्तविक सेवानिवृत्ति की तारीख पर अर्जित अवकाश की शेष राशि को अपने खाते में भुनाने का हकदार होगा।

16. 1994 अधिनियम के प्रावधानों के विश्लेषण से पता चलता है कि धारा 3(1) के तहत गठित विश्वविद्यालय स्वायत्त हैं और वे, बड़े पैमाने पर, अपने कामकाज में स्वतंत्र हैं। हालाँकि, राज्य सरकार कुछ मामलों में नियंत्रण रख सकती है, जिनमें वित्तीय निहितार्थ भी शामिल हैं और ऐसे

निर्देश जारी कर सकती है जो विश्वविद्यालयों पर बाध्यकारी हैं। शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पदों और सेवा शर्तों का निर्माण जो विश्वविद्यालयों के वित्त को प्रभावित करता है, ऐसे कुछ मामले हैं। धारा 8 विश्वविद्यालयों के लिए शिक्षकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के नए पदों के सृजन और उनके वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों आदि में संशोधन के लिए राज्य सरकार की मंजूरी लेना अनिवार्य बनाती है। कोई भी विश्वविद्यालय विशेष वेतन या अतिरिक्त पारिश्रमिक भत्ता राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कर्मचारियों को नहीं दे सकता है। इसी प्रकार, संबद्ध महाविद्यालयों के संबंध में अतिरिक्त वित्तीय देनदारी के संबंध में कोई भी निर्णय राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही लिया जा सकता है। विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की योग्यता, भर्ती, कार्यभार, आचार संहिता, कार्यालय की शर्तों, कर्तव्यों और सेवा की शर्तों जैसे मामलों में धारा 51(8) के तहत बनाए गए क़ानून, सिवाय उनके जो राज्य या केंद्र सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाए गए हैं, को राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है। धारा 115(2)(xii) के आधार पर , 1994 अधिनियम के लागू होने से पहले विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा बनाए गए क़ानून तब तक जारी रहे जब तक कि नए अधिनियम के तहत बनाए गए क़ानूनों द्वारा उनका अधिक्रमण या संशोधन नहीं किया गया।

17. अब हम 1981 के नियमों का पालन कर सकते हैं। नियम 50(1) में कहा गया है कि अवकाश विभाग में सेवारत कर्मचारी को छोड़कर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के अवकाश खाते में अर्जित अवकाश अग्रिम रूप से प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई में 15 दिनों की दो किस्तों में जमा किया जाएगा। किसी सरकारी कर्मचारी के पिछले आधे वर्ष की समाप्ति पर जमा राशि को 240 दिनों की अधिकतम सीमा के अधीन अगले छमाही तक आगे बढ़ाया जाना है। नियम 52 अवकाश विभाग को एक विभाग या उसके भाग के रूप में परिभाषित करता है जिसमें नियमित छुट्टियों की अनुमति होती है और जिसके दौरान उस विभाग में सेवारत एक कर्मचारी को ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की अनुमति होती है। परिशिष्ट II के अनुसार, जिसका संदर्भ नियम 52 में मिलता है, कक्षा I, कक्षा II और कक्षा III से संबंधित सरकारी शिक्षा संस्थानों के सभी प्रमुख और कक्षा I, II और III में सरकारी कला में कार्यरत प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर और अन्य शिक्षक, विज्ञान, वाणिज्य और कानून महाविद्यालय, सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, सरकारी महाविद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, सरकारी महाविद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला परिचारक, सरकारी प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्याख्याता और अन्य शिक्षक और गैर-अवकाश विभाग से संबंधित बताए गए कर्मचारियों

को छोड़कर अन्य विशेष संस्थानों और सरकारी संस्थानों के अन्य कर्मचारियों को अवकाश विभागों में सेवारत माना जाता है।

18. हालाँकि, नियम 54 में शीर्षक है "अवकाश विभागों में सेवारत व्यक्तियों के लिए अर्जित अवकाश", इसके उप-नियम (1) में घोषणा की गई है कि अवकाश विभाग में सेवारत एक सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य के संबंध में किसी भी एक वर्ष में अर्जित अवकाश का हकदार नहीं होगा जिसमें वह पूरी अवकाश का लाभ उठाता है। नियम 54 का उप-नियम (2) उस स्थिति से संबंधित है जिसमें एक सरकारी कर्मचारी अवकाश के एक हिस्से का लाभ उठाता है, उस स्थिति में वह 30 दिनों के अनुपात में अर्जित अवकाश का हकदार है, न कि अवकाश के दिनों की संख्या के बराबर। नियम 54(2) के खंड (बी) में कहा गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी वर्ष में कोई अवकाश नहीं लेता है, तो उसे नियम 50 के अनुसार उस वर्ष के संबंध में अर्जित अवकाश स्वीकार्य होगी।

19. हम खानदेश कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी, जलगांव बनाम अर्जुन हरि नारखेड़े (2011) 7 एससीसी 172 मामले में समन्वय पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचार से पूरी तरह सहमत हैं कि 1981 के नियमों में निहित प्रावधान विश्वविद्यालय के शिक्षकों पर लागू नहीं होते हैं और संबद्ध कॉलेजों के शिक्षक क्योंकि वे सरकारी सेवक नहीं हैं, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि संबद्ध कॉलेज अर्जित अवकाश के बदले शिक्षकों को

भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति के हकदार हैं। यद्यपि 1974 अधिनियम के तहत पुणे विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए क़ानून संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों को अवकाश नकदीकरण का लाभ पाने का अधिकार देते हैं, लेकिन उस अधिनियम या 1994 अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो राज्य सरकार को विश्वविद्यालय के शिक्षकों या संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों को अवकाश नकदीकरण लाभ बढ़ाने के लिए बाध्य करता हो और केवल यह तथ्य कि विशेष विश्वविद्यालय के क़ानून शिक्षकों को अवकाश नकदीकरण देने का प्रावधान करते हैं, संबंधित विश्वविद्यालय या कॉलेज को राज्य सरकार से अधिकार के रूप में प्रतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार नहीं देता है।

20. राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों को उन परिनियमों में संशोधन करने के लिए जारी निर्देशों की आलोचना, जिसके तहत शिक्षकों को अवकाश नकदीकरण का लाभ दिया जाता है, पूरी तरह से गलत है। यह न तो प्रतिवादी संख्या 1 और 2 का दलील दिया गया मामला है और न ही श्री गोंसाल्वेस द्वारा यह तर्क दिया गया है कि सरकारी कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक अवकाश नकदीकरण के लाभ के हकदार हैं। इसलिए, राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों को उनकी परिनियमावली में संशोधन करने के निर्देश जारी करना बिल्कुल उचित था। इसमें कोई संदेह नहीं है, कुछ संचारों में 1981 के नियमों के नियम 50, 52 और 54 का संदर्भ दिया गया है, लेकिन यह इस तथ्य से इनकार नहीं करता है कि राज्य सरकार को ऐसे

निर्देश जारी करने का अधिकार है। यह अलग बात है कि लगभग दो वर्षों तक पुणे विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा जारी बाध्यकारी निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने में विफल रहा।

21. खानदेश कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी, जलगांव बनाम अर्जुन हरि नारखेड़े (सुप्रा) के पैराग्राफ 18 में, इस न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विश्वविद्यालयों को क़ानून में संशोधन करने के लिए जारी किए गए निर्देशों का संज्ञान लिया है और देखा है कि जब तक जो क़ानून 1994 के अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं हैं, उन्हें संशोधित या प्रतिस्थापित किया जाता है तो वे लागू रहेंगे। हालाँकि, इन टिप्पणियों की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती जिससे विश्वविद्यालय या संबद्ध कॉलेजों को प्रतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार मिल जाए।

22. परिणामस्वरूप, अपीलें स्वीकार की जाती हैं, आक्षेपित आदेशों को रद्द किया जाता है और प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की जाती है। पक्षकारान अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

अपील स्वीकर।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रेम राजेश द्वारा किया गया है।

अस्वीकारण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अग्रेंजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।